आज़ादी का अमृत महोत्सव

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Since 1961
भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

केंका. डीआईसीजी. आईओडी.सं. S1294 /05-84-263/2023-2024 27 सितम्बर 2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chief Executive Officer
श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियामिता, मास्की, कर्नाटक
Sri Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank Niyamita, Maski, Karnataka
बस स्टैंड रोड, लिंगसुगुर,
Bus Stand Road, Lingasugur,
मास्की कर्नाटक 584 124
Maski Karnataka 584 124

महोदय/महोदया, Sir/Madam,

Deposit Insurance Scheme, 1961-Cancellation of Registration- Sri Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank Niyamita, Maski, Karnataka (UCCBKA00148)
जमा बीमा योजना 1961 पंजीकरण रद्द करना - श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियामिता, मास्की, कर्नाटक

कृपया 22 सितम्बर 2023 की भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी देखें जिसके द्वारा **श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियामिता, मास्की, कर्नाटक** को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत जारी के लाइसेंस को 22 सितम्बर 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द किया गया है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बेंगलुरु से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। अत: हम सूचित करते हैं कि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 13 सी (बी) के प्रावधानों के तहत, बीमित बैंक के रूप में आपके बैंक का पंजीकरण 22 सितम्बर 2023 यानी आपके बैंक के कारोबार की समाप्ति की तारीख को रद्द कर दिया गया है।	Please refer to the Reserve Bank of India Press Release dated September 22, 2023 stating that the license of **Sri Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank Niyamita, Maski, Karnataka** to carry on banking business issued to you under Section 22 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 has been cancelled with effect from close of business on September 22, 2023. The Registrar of Cooperative Societies, Bengaluru has also been requested to issue an order for winding up the bank and appoint a liquidator for the bank. We therefore, advise that under the provisions of Section 13C (b) of DICGC Act 1961, the registration of your bank as an insured bank stands cancelled with effect from September 22, 2023 i.e. the date of close of business of your bank.
2. आपसे अनुरोध है कि **22 सितम्बर 2023** को पंजीकरण रद्द करने की तिथि को कट-ऑफ जमा बीमा (डीआई) विवरणी और सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र जमा करें। तदनुसार	2. You are requested to submit the cut-off Deposit Insurance (DI) return and statutory auditor certificate as on the date of deregistration i.e. **September 22, 2023.** Your Bank will accordingly be

आपके बैंक को **<u>22 सितम्बर 2023</u>** तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।	required to pay premium up to **<u>September 22, 2023</u>**.
3. बैंक को जारी किया गया पंजीकरण का मूल पत्र हमारे रिकॉर्ड के लिए हमें वापस कर दें । आपसे यह भी अनुरोध है कि केंद्र/राज्य विधान, जिसके तहत बैंक पंजीकृत किया गया है, के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिवत प्रमाणित प्रति हमें अग्रेषित करें।	3. The original letter of registration issued to the bank may please be returned to us for our record. You are also requested to forward us a duly authenticated copy of Certificate of Registration issued by the Competent Authority under the Central / State Legislation under which the bank has been registered.
4. इसके अतिरिक्त आपको सूचित किया जाता है कि आप डीआईसीजीसी को प्रीमियम जमा करना बंद कर दें, क्योंकि बीमित बैंक के रूप में आपके बैंक विपंजीकृत है।	4. You are further advised to stop remitting premium to DICGC, as your bank is de-registered as an insured bank.

-Sd-
(मंगेश सोरते Mangesh Sorte)
उप महाप्रबंधक Deputy General Manager